



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-4612-औ०सं०/2016-26(2)ए०एस०/06

दिनांक ²⁵ सितम्बर, 2017

प्रबन्ध निदेशक,

मध्यांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/केस्को,

विद्युत वितरण निगम लि०,

लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

सर्वोच्च प्राथमिकता

अति महत्वपूर्ण

Speed Post

विषय:-वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से विद्युत लाईनों व उपकेन्द्रों के अनुरक्षण से सम्बन्धित कार्यो हेतु नियोजित संविदा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान RTGS द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश सं०-4562-औ०सं०/2016-26(2)ए०एस०/06 दिनांक 19.02.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाह्य सेवा प्रदाता/कार्यदायी संस्था द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे संविदा श्रमिक के बैंक खाते में संविदाकार द्वारा जमा कराये जाने एवं समस्त श्रम कानूनों का पालन करने के निर्देश दिये गये है तथा इसका पालन करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को दी गई है।

उक्त के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि कारपोरेशन के आदेशों का कड़ाई से पालन कराये तथा पालन न करने वाले संविदाकारों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाये। कारपोरेशन के आदेशों का पालन न करने वाले सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या-4612-औ०सं०/2017, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
3. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक :- यथोपरि।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)